न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 149/2024 (GCMS: 2024/222)

राज्य सरकार जरिये श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री केसाराम जाति ब्राह्मण आयु 48 वर्ष निवासी हाल गली नं. .1, रामलाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर लालचन्द सोनी का मकान मोबाईल नम्बर 82335–70681

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र लालगढ़िया उपस्थित नही हुए। विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित हुए। विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

स्टेट की ओर से सुश्री कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 20.09.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ एसएसबी रोड, गली नं. 09, श्रीगंगानगर में स्थित मकान पर पहुंचे। मौके पर उक्त मकान में श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री केसाराम जाति ब्राह्मण निवासी हाल गली नं. 01, रामलाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में मकान की जांच की गई। जांच करने पर मकान में 06 प्लास्टिक के ड्रमों एवं 21 प्लास्टिक की कैनियों में 2040 पेट्रोल भण्डारित पाया गया, जिसे श्री रणजीत सिंह ने स्वयं का होना स्वीकार किया तथा बताया कि वह **पंजाब के पेट्रोल पम्पों से सस्ते दामों में क्रय कर लाना बताया तथा उपभोक्ताओं को विक्रय करना बताया।** मौके पर रणजीत सिंह द्वारा पेट्रोल/डीजल के बेचान के संबंध में कोई कागजात/अनुमति/अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। रणजीत सिंह पुत्र केसाराम ने **बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ),3(4) एवं 4 का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण**, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना [illegible] 2040 लीटर पेट्रोल मय 06 प्लास्टिक ड्रम, 21 प्लास्टिक [illegible] 02 [illegible] के माप एवं 01 हस्तचलित पंप को राजसात [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:52 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी रणजीत सिंह की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने लिखित जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी के कब्जा से दौरान जांच 06 प्लास्टिक ड्रमों में व 21 प्लास्टिक कैनियों में कुल 2040 लीटर पेट्रोल होना बताया गया है तथा मौका स्थल पर परमिट प्रस्तुत नही करने पर फर्द जब्ती की कार्यवाही की गई है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका अपने लिखित जवाब में आगे यह भी कथन है कि राजस्थान पेट्रोलिमय उत्पादन आदेश 2005 की अवहेलना का आरोप है इसके सम्बन्ध में अन्य आदेश Petroleum products (Maintenance of Productions, Storage and supply Orde 1999 और Motor Spitit & High Speed Diesel (Regulation of supply, Distribution & Prevention of Malpractices) Order 2005 केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये है। पेट्रोलियम पदार्थ संविधान की समवर्ती सूची में उल्लेखित है। राज्य व केन्द्र सरकार दोनों को ही इस पर विधि बनाने का अधिकारी है। केन्द्र सरकार के आदेश 1999 के अनुसार 2500 लीटर तक किसी व्यक्ति को एक ही समय में पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री किये जाने का प्रावधान है, जिसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रख सकता है अथवा खरीद सकता है। ऐसी सूरत में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3 सपठित धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का आरोप प्रथम दृष्टया बनना नहीं पाया जाता है। इसलिए फर्द जब्ती की कार्यवाही को निरस्त कर, प्रार्थी को पेट्रोलियम पदार्थ लौटाये जाने की प्रार्थना की है।

विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 20.09.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ अप्रार्थी रणजीत सिंह के मकान पर पहुचें तो उसके द्वारा बिना कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल/डीजल का बेचान किया जा रहा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार 30 लीटर पेट्रोल (पेट्रोलियम वर्ग क), 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख तथा 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता। जबकि अप्रार्थी से जब्तशुदा पदार्थ एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल पेट्रोलियम वर्ग "क" का था, इसप्रकार अप्रार्थी ने अपने जवाब में 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को कब्जे में रखने का प्रावधान के गलत तथ्य अंकित किये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी [illegible] अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करन मोटर [illegible] (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार [illegible] खण्ड 2(थ),3(4), 4 का उल्लंघन करने के कारण जब्तशुदा 2040 लीटर पे[illegible] मय 06 प्लास्टिक ड्रम, 21 प्लास्टिक कैनिया, 02 लोहे के माप एवं 01 हस्तचलित पम्प को राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6ए– प्रकरण संख्या 149/2024
सरकार बनाम रणजीत सिंह
(GCMS No. 2024/222)
आदेश दिनांक 06.05.2026

मैने, पत्रावली एवं विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ ने दिनांक 20.09.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु एस.एस.बी. रोड़, गली नं. 09 श्रीगंगानगर पर पहुंचे तो मौके पर रणजीत सिंह पुत्र श्री केसाराम मकान पर उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में मकान की जाचं की गई। मौके पर मकान में 06 प्लास्टिक ड्रमों एवं 21 प्लास्टिक कैनियों में कुल 2040 लीटर पैट्रोल पाया गया। जिसे अप्रार्थी रणजीत सिंह ने स्वयं का होना स्वीकार किया। अप्रार्थी ने बताया कि वह पंजाब के पेट्रोल पम्प से डीजल–पेट्रोल का क्रय कर लाता है तथा उपभोक्ताओं को विक्रय करता है। मौके पर रणजीत सिंह ने पेट्रोल/डीजल के बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही किया गया। इसलिए अप्रार्थी से 2040 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक ड्रम, 21 प्लास्टिक कैनियां, लोहे का माप एवं 01 हस्तचलित पम्प को जब्त किया गया। रणजीत सिंह ने बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ),3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया है इसलिए जब्तशुदा में 2040 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक ड्रम, 21 प्लास्टिक कैनियां, लोहे का माप एवं 01 हस्तचलित पम्प को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> "**जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये** गये **किसी ऐसे** आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे **विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति** या **अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का** भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:52 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी रणजीत सिंह के अधिवक्ता ने पूर्व में जवाब पेश किया हुआ है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख तथा 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6ए– प्रकरण संख्या 149/2024
सरकार बनाम रणजीत सिंह
(GCMS No. 2024/222)
आदेश दिनांक 06.05.2026

बिना अनुज्ञप्ति (License) एवं बिना किसी सुरक्षा पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन एवं बेचान के कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है।

इस प्रकार अप्रार्थी रणजीत सिंह के कब्जे से उसकी मकान में 2040 लीटर पैट्रोल एवं अन्य सामग्री बेचान करते हुए प्राप्त हुआ है तथा अप्रार्थी रणजीत सिंह के पास पेट्रोल के भण्डारण/बेचान करने का का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है। इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उललंघन किया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी ''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग ''क'' के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है तथा वर्ग ''ख'' के 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति (License) की आवश्यकता है। जबकि अप्रार्थी द्वारा 2040 लीटर पेट्रोल का ''भण्डारण एवं बेचान'' करते जब्त किया गया हैं, इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त 2040 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री राजसात करने योग्य ठहरते है।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत **Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56** में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 2040 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये 2040 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि एवं अन्य सामान को विक्रय कर, राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष मे [illegible] अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये ज[illegible] रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवा[illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:52 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर